न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15/2020 (2020/00141) दर्ज दिनांक 29.06.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. नाहरसिंह पिता केसरसिंह जी राजपूत आयु बालिग निवासी दियास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्रीमती भंवरकंवर पुत्री केसरसिंह जी राजपूत आयु बालिग निवासी दियास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा हाल निवास पनोतिया तह. रेलमंगरा जिला राजसमन्द(राज.)
3. श्रीमती गणेशकंवर पुत्री केसरसिंह जी राजपूत आयु बालिग निवासी दियास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा हाल निवास करेडा–सियाणा तह. आमेट जिला राजसमन्द(राज.)

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह जी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दियास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु. गंगापुर

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– प्रार्थीगण अधिवक्ता – श्री मुकेश चौधरी
विपक्षी सं. 01 अधिवक्ता – श्री सुनिल कुमार जैन
विपक्षी सं. 02 – पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–06.11.2020

:: निर्णय ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है – प्रार्थीगण ने उक्त अनवान प्रकरण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दियास पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाडा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी सं. 1105 रकबा 0.20 हे., 1334/391 रकबा 0.43 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 0.63 हे. स्थित होकर मौके पर दो चकों में मौजूद है। प्रमाण में जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेश साथ पेश है।

इसी प्रकार ग्राम दियास पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाडा के बैरुन हल्का आबादी में विपक्षी सं. 01 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी सं. 1106 व 392 रकबा क्रमशः 0.90 हे. व 0.37 हे. भूमि स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेश साथ पेश है।

प्रार्थीगण की आराजी सं. 1334/39[illegible], बैल आदि से आवागमन हेतु आराजी सं. 1105 की पूर्वी पाली से होते हुए विपक्षी की [illegible] 1106 व 392 की पश्चिमी पाली पर होते हुए प्रार्थीगण आराजी सं. 1334/[illegible] 15 फिट चौडा है तथा उक्त रास्ते को सेरियानुमा बना रखा है। [illegible] वर्षो से भी अधिक सम[illegible] रास्ता मौजूद होकर प्रार्थीगण आराजी सं. 1334/391 में आने–जाने का [illegible]मात्र रास्ता है इसके अ[illegible] अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उक्त आराजियात् में मौजूद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:23 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
गापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण आराजी सं. 1334/391 रकबा 0.43 हे. भूमि में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता जो विपक्षी रामसिंह ने अवरोधित कर रास्ते में थोर व कांटो की छडियां लगाकर बंद कर दिया है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी द्वारा रास्ते को बंद कर पक्का निर्माण करने की धमकियां दी जा रही हैं। यदि रास्ते में पक्का निर्माण हो जावेगा तो प्रार्थीगण रास्ते के अभाव में अपनी आराजी में काश्त करने से वंचित हो जायेंगे तथा अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पायेंगें, उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। जिससे आराजी सं. 1106 व 392 की पश्चिम पाली से 15 फिट रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण नियमानुसार जो भी मुआवजा होगा विपक्षी को देने को तैयार है या विकल्प में जितनी भूमि आराजी सं. 1106 व 392 में रास्ते हेतु जाती है उतनी भूमि प्रार्थीगण आराजी सं. 1334/391 व 1105 में से विपक्षी को देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये । विपक्षी सं. 01 की और से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार जैन ने अधिकार पत्र पेश किया तथा विपक्षी सं. 02 पेराकार सरकार उपस्थित। विपक्षी सं. 01 की और से जवाब पेश किया गया जिसमें यह व्यक्त किया गया कि प्रार्थीगण के काका जोधसिंह व गुमान सिंह जी थे, जिनका देहान्त हो चुका है, गुमान सिंह जी के लड़के भंवर सिंह व रेवत सिंह है तथा उनकी बेवा हेमकंवर है, जोध सिंह के धापु कंवर पत्नी होकर जीवित है व उनकी एक पुत्री सोहन कंवर है। प्रार्थीगण की आराजी सख्या 1334/391 मे प्रार्थीगण आवागमन उनके काका गुमान सिंह जी के लड़के भंवर सिंह व रेवत सिंह की आराजी संख्या 393 मे से होकर ही रहा है, क्योंकि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1105 व 1334/391 तथा उनके काका गुमान सिंह जी की आराजी संख्या 393 , 1339/388, 1107, 386 तत्कालीन समय मे प्रार्थीगण एवं उनके काका गुमान सिंह जी के लड़के भंवर सिंह, रेवत सिंह के मध्य संयुक्त खातेदारी की रही है, जिसका स्वेच्छिक विभाजन प्रार्थीगण एवं उनके काका गुमान सिंह जी के लड़के भंवर सिंह, रेवत सिंह के मध्य दिंनाक 19/05/2005 को हुआ था।

प्रार्थीगण आराजी सख्या 1105 व 1334/391 व विपक्षी की आराजी 1106 व 392 आपस मे कभी भी प्रार्थीगण एंव विपक्षी के मध्य शामलाती नही रही है और न ही प्रार्थीगण ने विपक्षी की आराजी संख्या 1106 व 392 की पश्चिमी पाली से आवागमन ही किया है। प्रार्थीगण अपनी आराजी सख्या 1334/391 मे सदैव से आवागमन उनके काका गुमान सिंह जी की आराजी सख्या 393 मे से ही किया है व करते चले आ रहे थे। लेकिन प्रार्थीगण ने आराजी संख्या 1334/391 से आगे व नीचे स्थित उनके काका गुमान सिंह जी के लड़के भंवर सिंह, रेवत सिंह जी की आराजी संख्या 1339/388, 1107, 386 मे आवागमन करने का रास्ता बंद कर दिया, जिससे उनके काका के लड़के रेवत सिंह ने भी अपनी आराजी सख्या 393 मे से प्रार्थीगण का आवागमन का रास्ता बंद कर दिया, जिसको खुलासा/दर्ज कराने इस हेतु नही कर मात्र विपक्षी जवाबदाता को परेशान करने व उसकी बहुमूल्य सम्पत्ति को नष्ट करने की नियत से झूठे तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीगण [illegible] आराजी में आने–जाने का रास्ता पूर्व में मौजूद है, विपक्षी जवाबदाता की आराजियात में से कभी भी आवागमन नहीं किया है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से विपक्षी जवाबदाता की भूमि में रास्ता [illegible] नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकरण मे जिस रास्ते की मांग की गयी है, उसी रास्ते को लेकर प्रार्थीगण ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, गंगापुर जिला भीलवाड़ा मे एक वादपत्र बाबत घोषणा एवं आदेशात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 23/2013 ई0दी0 नाहर सिंह व अन्य बनाम रामसिंह कायम हुए, जिसका दिनांक 28/01/2017 को निर्णय व डिकी पारित फरमाते हुए विपक्षी जवाबदाता की आराजियात मे रास्ता नही मानकर वादपत्र को खारीज फरमाया गया, जिस निर्णय व डिकी के विरूद्व प्रार्थीगण ने अपर जिला न्यायाधीश महोदय, गंगापुर जिला भीलवाड़ा के यहां अपील भी प्रस्तुत कर रखी है, जो जैर कार्यवाही है। इस प्रकार सिविल न्यायालय द्वारा भी रास्ता नही माना गया है। केवल मात्र परेशान करने की गरज से गलत तथ्यो पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र से पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए आर.टि.एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसको भी प्रार्थीगण द्वारा विड्रो कर लिया, जिसका उल्लेख किये बिना व बिना उसे रेस्टोरेशन कराये, उक्त नया प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को लेकर मौका पर्चा तहसीलदार सहाडा के माध्यम से प्राप्त किया गया जिसमें यह व्यक्त किया गया कि आराजी सं. 1106 व 392 की पश्चिमी मेड पर वर्तमान में रास्ते के कोई निशानात् नहीं हैं।

प्रार्थीगण ने स्वयं की आराजी सं. 1105 की पूर्वी मेड पर 15 फिट का रास्ता दोनों थोहरों की बाड लगाकर बना रखा है जो उत्तरी मेड तक ही है। आराजी सं. 1105 व 393 प्रार्थीगण के खातेदारी में सामलात थी जो विभाजित होकर प्रार्थीगण के पास आराजी सं. 1105 आई है।

उभयपक्षों के अधिवक्ता की इस प्रकरण में बहस सुनी गई, मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी सं. 01 की आराजियात् में से रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया, इसके विपरीत विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि आराजी सं. 1105, 1334/391 व 393 जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 के खाता सं. 276 में प्रार्थीगण व अन्य खातेदार भंवरसिंह, रेवतसिंह पिता गुमानसिंह, हेमकंवर बेवा गुमानसिंह राजपूत के नाम सामलात में दर्ज थी जिसका स्वैच्छिक विभाजन दिनांक 19.05.2005 को हुआ था। प्रार्थीगण की आराजी सं. 1105 के उत्तर दिशा में सटमा आराजी सं. 393 स्थित है। प्रार्थीगण ने आराजी सं. 393 के खातेदार के विरुद्ध रास्ता चाहने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है जबकि प्रार्थीगण को आराजी सं. 393 के खातेदार के विरुद्ध रास्ता चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र [illegible] था, लेकिन प्रार्थीगण ने ऐसा न कर विपक्षीगण को केवल मात्र परेशान करने [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:23 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौका पर्चा व विपक्षी सं. 01 द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण की आराजी सं. 1105 व 1334/391 व 393 जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 के खाता सं. 276 के अनुसार पूर्व में सामलात रही है, जिसका स्वैच्छित विभाजन प्रार्थीगण व भंवरसिंह, रेवतसिंह पिता गुमानसिंह, हेमकंवर बेवा गुमानसिंह राजपूत के मध्य दिनांक 19.05.2005 को हुआ है। प्रार्थीगण की आराजी सं. 1105 के उत्तर दिशा में सटमा आराजी सं. 393 स्थित है। साथ ही माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, गंगापुर जिला भीलवाड़ा मूल0दी0 प्र0सं0 23/2015 नाहरसिंह बनाम रामसिंह में बयान कर्ता श्री रेवतसिंह आत्मज गुमानसिंह निवासी दियास तहसील सहाड़ा द्वारा बयान दिया कि वादीगण को विभाजन उपरान्त प्राप्त आराजी संख्या 1334/391 में वादीगण ने सदैव से आवागमन मुझ शपथकर्ता की आराजी संख्या 393 में से होकर ही उक्त में रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी की आराजी संख्या 1106 व 392 की पश्चिमी पाली से होकर कभी भी आवागमन नहीं किया है व न ही कर रहे है। प्रार्थीगण ने आराजी सं. 393 के खातेदार के विरुद्ध रास्ता चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

:: आदेश::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया किया जाता है। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

विकास पंचोली
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner